

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दुलाबी देवी वगैरे बनाम औंठी देवी वगैरे

डिस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर - 91/2

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
17-06-2025	<p>प्रार्थीगण की ओर से श्री सुरेश कुमार लाम्बा एडवो ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 का पेश किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर की जावें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 10.07.2025 को पेश हो।</p> <p>(अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>
10.7.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उमय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 31.7.25 को पेश हो।</p>
31.7.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उमय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19.8.25 को पेश हो।</p>
19.08.2025	<p>पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से श्री सुभाष यादव एडवो ने वकालतनामा मय एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण हाजा में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्वा किये जाने का पेश कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्वा करने का निवेदन किया है। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण को</p>



हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

सुना जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के विद्वा किये जाने का निवेदन स्वीकार किया जाता है। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(अनिल कुमार)

उपसुब्बुड अधिकारी
श्रीमोघापुर (सीकर)